न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/94/2022
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/165

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री श्रवणलाल सैनी पुत्र सुवालाल सैनी, नि0 ग्राम व पोस्ट–धमरेड, तहसील–राजगढ (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 18.05.2022
प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 06.06.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 04.04.2022 के द्वारा जिला कलक्टर, अलवर को उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी, राजगढ द्वारा किए गए नीलामी आदेश सं. 934–38 दिनांकः 18.02.21 द्वारा कुर्क की गई भूमि संबंधी 04 बिन्दुओं पर सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, अलवर के पत्रांकः 1042–43 दिनांकः 29.04.22 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी, राजगढ को अन्तरित किया गया है।
5. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
6. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 2271 दिनांकः 30.05.2022 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त अपीलार्थी को सूचित करते हुए इस न्यायालय में जवाब पेश किया है जो उचित नहीं है व अधिनियम के विधिक प्रावधानों के प्रति उदासीनता का परिचायक है।
8. तथापि प्रेषित सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये अन्य तथ्य प्रश्नात्मक, काल्पनिक, व्यथा व शिकायतों पर कार्यवाही/रोष–स्वरूप हैं जिनका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के स्तर पर निस्तारण किया जाना संभव नहीं है। इस हेतु संविधान में उपलब्ध उपयुक्त मंच के समक्ष शिकायत/परिवाद दायर कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।
9. अतः अपील, अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विनिर्दिष्ट समयावधि में ही विनिश्चय कर आवेदकों को सूचित किया जावे।
10. आज दिनांकः 06.06.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकितकिया गया।

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)